



झारखण्ड अधिविद्या परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI
ज्ञानदीप परिसर, बरगाँव, नामकुम, राँची - 834010

शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु विज्ञापन

विज्ञापन संख्या - 47/2016

प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1863 दिनांक 22.09.2012, 2074 दिनांक 03.11.2012, सचिवार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 1455 दिनांक 17.08.2016 एवं निवेशक (प्रा.), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 06.04.2016 एवं निवेशक (प्रा.), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 05/10/2016 तक आमंत्रित किया जाते हैं-

(1) चांडिया अर्हता एवं योग्यता -

(क) भारत के लिए उपलब्ध हो,

(ख) शैक्षणिक एवं प्रौद्योगिक योग्यताएँ :

(ii) प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए:-

(अ) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (वाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो) या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (वाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०) या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा या स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (वाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

(ii) उच्च प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए:-

(क) स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (वाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो) या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०) या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, के अनुसार प्राप्त किया गया हो या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०) या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी०ए० / बी०एस०सी०एड० या बी०ए०एड० / बी०एस०सी०एड० या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी०एड० (विशेष शिक्षा)

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अध्यर्थियों का न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(ग) ऐसे अध्यर्थी जिसकी प्रशिक्षण चर्चा पूरी हो गयी हो और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा (final) का अयोजन हो गया हो, भी शिक्षक अहंता जाँच परीक्षा में समिलित हो सकेंगे। परन्तु उन्हें प्रशिक्षण चर्चा में प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी जानकारी परिषद् के बैवसाइट पर देना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका अध्यर्थित्व स्वतः रद्द समझा जायेगा।

2. शिक्षक अर्हता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा-

(क) अहंता जाँच परीक्षा के दो स्तर होंगे और कोई अध्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षा में समिलित हो सकते हैं किन्तु इसके लिये उन्हें विहित शुक्र के साथ परिषद् के बैवसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना अनिवार्य होगा।

(i) प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के लिए TET- Level 1

(ii) उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के लिए TET- Level 2

(ख) प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा अर्थात् सभी विषयों की परीक्षा के लिए एक साथ प्रश्न दिये जायेंगे जिसमें एक खण्ड में भाषा दो के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रश्न रहेंगे एवं दूसरे खण्ड में भाषा दो का प्रश्न पत्र रहेगा। परीक्षा अवधि दो विंडो तीस मिनट की होगी। दोनों स्तर की परीक्षा एक ही दिन दो अलग-अलग पालियों में अयोजित होगी।

(ग) प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) के लिए निम्नवत् अहंता जाँच परीक्षा ली जायेगी।

क्र. विषय

बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या पूर्णांक

(i) बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति 30 30

(ii) भाषा-। (अ) सहायक शिक्षक: हिन्दी एवं अंग्रेजी 30 30

(ब) उर्दू-सहायक शिक्षक: उर्दू एवं अंग्रेजी 30 30

(iii) भाषा-॥ क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा 30 30

(iv) गणित 30 30

(v) पर्यावरण अध्ययन 30 30

(d) उच्च प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 6 से 8) के लिए निम्नवत् अहंता जाँच परीक्षा ली जायेगी :

क्र. विषय

बहु-विकल्पीय प्रश्नों की पूर्णांक

संख्या

(i) बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति(अनिवार्य) 30 30

(ii) भाषा-। (अ) सहायक शिक्षक: हिन्दी एवं अंग्रेजी, या 30 30

(ब) उर्दू-सहायक शिक्षक: उर्दू एवं अंग्रेजी, या 30 30

(iii) भाषा-॥ क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा (अनिवार्य) 30 30

(iv) (अ)गणित एवं विज्ञान (गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए) 60 60

(ब)समाज अध्ययन (समाज अध्ययन शिक्षक के लिए) 60 60

(स)किसी अन्य शिक्षक के लिए iv (अ) अथवा iv (ब)

(d.) जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं के अतिरिक्त अन्य प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा, किन्तु उर्दू एवं अंग्रेजी विषयों के प्रश्न पत्र क्रमशः उर्दू एवं अंग्रेजी

भाषाओं में होंगी और इन विषयों में परीक्षा का माध्यम भी उर्दू एवं अंग्रेजी होगा।

(च) भाषा-॥ के अन्तर्गत जिला के लिए अनुसार्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं (झारखण्ड प्रारंभिक विज्ञापन विषयक नियमावली, 2012 के अनुसूची-। के अन्तर्गत जिलावार जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं की सूची के अनुसार) में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

(i) अन्यथा जिस जिला के निवासी है, वे आवेदन पत्र में उस जिला का एवं अन्य के लिए निर्धारित (नियमाकृत) कोड भरेंगे एवं जिस क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं का चयन करते हैं उसका भी कोड अंकित करेंगे -

(क) जिला का कोड निम्नवत् है:-

जिला का नाम	कोड	जिला का नाम	कोड
राँची	01	रामगढ़	13
खड़ी	02	कोडरमा	14
लोहरदगा	03	चतरा	15
गुमला	04	बोकारो	16
सिमडेगा	05	धनबाद	17
प.सिंहभूम	06	गिरिहील	18
पूर्णी सिंहभूम	07	दुमका	19
सरायेकला-खरसावां	08	जामताड़ा	20
लातहार	09	देवधर	21
पलामू	10	गोड़ा	22
गढ़वा	11	पाकुड़	23
हजारीबाग	12	साहेबगंज	24
		अन्य (झारखण्ड राज्य से बाहर)	25

(ख) क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं के कोड निम्नांकित है:-

भाषा	कोड	भाषा	कोड	भाषा	कोड
कुडुख (उर्जव)	51	भूमिज	57	बं	